प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 796/2010

याचिकाकर्ता बृजलाल शर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

(एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 12 दिसंबर 2013 को आदेश की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 796/2010

याचिकाकर्ता बृजलाल शर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण भारत संघ एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

(एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

उपस्थित:- श्री अरविंद कुमार दुबे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, भारत संघ हेतु सहायक सॉलिसिटर जनरल।

श्री अनुमेह श्रीवास्तव, राज्य हेतु पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 12 दिसंबर, 2013 को उद्घोषित किया गया)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 28-08-2009 के पत्र (अनुलग्नक पी-15) द्वारा सूचित किए गए निर्णय की शुद्धता और वैधता को प्रश्नगत किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के '*स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन*' के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

2. यह वाद का दूसरा चरण है।

3. याचिका में उल्लेखित, वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्यात्मक आधार अधोलिखित हैं।

4. याचिकाकर्ता दावा है कि उसने 13-14 वर्ष की आयु में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा "करो या मरो" के नारे के साथ दिए गए जोरदार आह्वान के प्रत्युत्तर में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09-08-1942 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 36 घंटों तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में उसकी सक्रिय भागीदारी के कारण, दिनांक 15-09-1942 को उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए, वह अक्टूबर, 1943 तक भूमिगत रहा। याचिकाकर्ता हिंदुस्तानी लाल सेना का एक सक्रिय सदस्य भी था। याचिकाकर्ता क्षेत्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों, यथा स्वर्गीय श्री महंत लक्ष्मी नारायण दास, स्वर्गीय श्री डागाजी, स्वर्गीय श्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह, स्वर्गीय श्री खूबचंद बघेल, स्वर्गीय श्री जे. एन. पाण्डेय, स्वर्गीय श्री रामानंद दुबे, श्री कृष्ण ठाकुर, इतिहासकार श्री हरि ठाकुर, पूर्व सांसद श्री केयूर भूषण, श्री मोतीलाल त्रिपाठी और अधिवक्ता श्री कमल नारायण शर्मा आदि के निकट सहयोगी थे, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जब वर्ष 1980 में केंद्र सरकार द्वारा *'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन'* प्रदान करने की योजना लाई गई, तो याचिकाकर्ता ने भी प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए कई प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया। हालांकि, याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसी बीच, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की राज्य की नीति भी प्रख्यापित की गई और याचिकाकर्ता को विधिवत मान्यता दी गई तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पेंशन प्रदान करने की योजना के लाभ के लिए पात्र घोषित किया गया, जो विस्तृत जांच और पूर्ण संतुष्टि के बाद दी गई थी कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्रता सेनानी था। हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे को केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था, यद्यपि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश की थी। असमर्थनीय आधारों पर दिनांक 07-02-2000 और दिनांक 16-04-1999 (अनुलग्नक पी-12) के आदेश के माध्यम से अपने दावे की अस्वीकृति से व्यथित होकर, एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे अंततः दिनांक 19-01-2009 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश द्वारा निराकृत किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का दावा वास्तविक पाया गया और उसे *'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन'* का हकदार माना गया तथा उत्तरवादी क्र. 1 को याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी जारी किया गया था, परंतु उत्तरवादी प्राधिकारी ने उचित विचार किए बिना पुनः याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया, अतः यह याचिका प्रस्तुत है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता के दावे को उन आधारों पर खारिज कर दिया गया है, जो न केवल विधि में असमर्थनीय हैं, अपितु इस न्यायालय द्वारा वाद के पहले चरण में दिनांक 19-01-2009 (अनुलग्नक पी-14) को पारित न्यायिक आदेश के भी विपरीत हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे एक से अधिक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए व्यक्तिगत ज्ञान के प्रमाण-पत्रों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रशासन ने सुसंगत प्रमाण-पत्र के अभिलेखों की अनुपलब्धता के संबंध में एक प्रमाण-पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्रता सेनानी था और छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा था, जो उसे केंद्र सरकार की पेंशन योजना, 1980 के खंड 2.3 के तहत पेंशन प्राप्त करने का हकदार बनाता है। उपरोक्त सभी सामग्रियों और इस न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करते हुए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के आवेदन को पुनः यंत्रवत् तरीके से खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से विद्वान सहायक महा न्यायाभिकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि एक से अधिक अवसरों पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया और यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध थे और उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे को उचित रूप से खारिज कर दिया।

8. पेंशन प्रदान करने हेतु याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में उत्तरवादी-भारत संघ के निर्णय की शुद्धता और वैधता का परीक्षण करने से पूर्व, ***गुरदियाल सिंह वि. भारत संघ एवं अन्य, 2001 (8) एससीसी 8*** के मामले में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसे उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20-07-2012 के ***कमलबाई सिंकर वि. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*** के अपने हाल ही के निर्णय में दोहराया है जो ***2012(4) सी.जी.एल.जे. 83 (एससी)*** में प्रकाशित किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उस रीति पर प्रकाश डाला है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने हेतु दावों पर विचार किया जाना आवश्यक है और उस संबंध में आवश्यक दृष्टिकोण इस प्रकार है:-

6. अभिलेख पर विद्यमान उपरोक्त सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात्, सर्वप्रथम हम गुरदियाल सिंह वि. भारत संघ एवं अन्य [2001 (8) एससीसी 8] में प्रकाशित किए गए निर्णय में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहते हैं। उक्त निर्णय की कंडिका 7 में, इस न्यायालय ने उस रीति पर प्रकाश डाला है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने हेतु ऐसे दावों पर विचार किया जाना चाहिए। विचाराधीन मामले में अपीलकर्ता के पति के दावे के संबंध में अपना निष्कर्ष व्यक्त करने से पहले उक्त कंडिका का संदर्भ देना सार्थक होगा। कंडिका 7 इस प्रकार है:

"7. ऐसे मामलों में आवश्यक प्रमाण का मानक वह मानक नहीं है जो किसी आपराधिक मामले में या किसी ऐसे मामले में आवश्यक होता है जिसका न्यायनिर्णयन पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों या साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। चूंकि योजना का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना और उनके कष्टों को कम करना है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, इसलिए योजना के तहत पेंशन चाहने वाले व्यक्ति के मामले की गुणदोष के आधार पर जांच करते समय एक उदार और न कि तकनीकी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को इस योजना के तहत शामिल किए जाने का आशय है, उन्होंने लगभग आधी शताब्दी पहले देश के लिए कष्ट सहे थे और उन्हें अपने द्वारा भुगते गए कारावास के बदले पुरस्कार की कोई अपेक्षा नहीं थी। एक बार जब देश ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की जांच करने का काम सौंपे गए नौकरशाहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखें। इस योजना के तहत दावेदारों के मामले का निर्धारण संभावनाओं के आधार पर किया जाना आवश्यक है न कि "युक्तियुक्त संदेह से परे" परीक्षण की कसौटी पर। एक बार जब साक्ष्य के आधार पर यह संभावित हो जाता है कि दावेदार ने देश के हित में और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास भोगा था, तो उसके पक्ष में एक उपधारणा की जानी आवश्यक है जब तक कि ठोस, युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसका खंडन न किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[बल दिया गया]

9. उपरोक्त निर्णय का सार यह है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले की संवीक्षा करते समय और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करते समय प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में आवश्यक साक्ष्य का मानक वह मानक नहीं है, जो किसी आपराधिक मामले में या पक्षकारों के साक्ष्यों पर प्रतिद्वंदी तर्कों के आधार पर तय किए गए मामले में आवश्यक होता है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि योजना का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना और उनके कष्टों को कम करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, इसलिए योजना के तहत पेंशन चाहने वाले व्यक्ति के मामले के गुणदोष का निर्धारण करते समय एक उदार और न कि तकनीकी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। एक बार जब देश ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की जांच करने का काम सौंपे गए नौकरशाहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखें। उच्चतम न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि दावेदारों के मामलों का निर्धारण संभावनाओं के आधार पर किया जाना आवश्यक है न कि "युक्तियुक्त संदेह से परे" परीक्षण की कसौटी पर। एक बार जब साक्ष्य के आधार पर यह संभावित हो जाता है कि दावेदारों ने देश के हित में और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास भोगा था, तो उनके पक्ष में उपधारणा की जानी आवश्यक है, जब तक कि ठोस, युक्तियुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसका खंडन न किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. संवीक्षा का उद्देश्य और प्रयोजन केवल अपात्र व्यक्तियों द्वारा पेंशन योजना के दुरुपयोग को रोकना था, न कि साक्ष्य का वह कठोर परीक्षण लागू करना जैसा कि एक आपराधिक मामले में आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में अधिकारियों का दृष्टिकोण, अपनी प्रकृति से ही, सत्य का पता लगाने वाला होना चाहिए न कि आवेदन को खारिज करने के तरीके और साधन खोजने के लिए तकनीकी नियमों को लागू करने वाला।

11. यह ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता पहली बार इस न्यायालय के समक्ष आया है। उत्तरवादी प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई सामग्री के आधार पर उसके दावे को पूर्व में

खारिज कर दिया गया था, जिसे रिट याचिका क्र. 263/2001 दायर करके चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र की वास्तविकता पर विचार करने का अवसर मिला था, जो कि मगन लाल बागरी, पूर्व सांसद द्वारा जारी किया गया था, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक का कारावास भोगा था। वाद के पिछले चरण में भी, उत्तरवादीगण इस मामले के साथ आए थे कि मगन लाल बागरी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र के साक्ष्य के संबंध में संदेह के कारण, याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, यह विवादकों में से एक था कि क्या मगन लाल बागरी द्वारा जारी व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र पर संदेह करके याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना न्यायोचित था या नहीं। इस पक्ष पर इस न्यायालय द्वारा (रिट याचिका क्र. 263/2001 में) विस्तार से विचार किया गया था और निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया गया था:-

> **10.** याचिकाकर्ता ने पूर्व सांसद मगन लाल बागरी द्वारा जारी किए गए पी.के.सी. प्रमाण-पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक का कारावास भुगता था, इस आशय के साथ कि याचिकाकर्ता दिनांक 15 सितंबर, 1942 से दिनांक 31 अक्टूबर, 1943 की अवधि के दौरान छह माह से अधिक समय तक भूमिगत रहा था। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक ने भी दिनांक 20-03-1990 (अनुलग्नक पी-14) को इस आशय का एन.ए.आर.सी. दिया है कि सुसंगत समय के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। उत्तरवादी क्र.1, भारत सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह स्वीकृत मामला है कि यदि सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (पी.के.सी.) द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जिसने कम से कम पांच वर्ष या उससे अधिक का कारावास भुगता हो। श्री बागरी के पांच वर्ष से अधिक के कारावास और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी एन.ए.आर.सी. के संबंध में कोई संदेह नहीं है। वर्तमान मामले में, एन.ए.आर.सी. भी उपलब्ध है और प्रमाण-पत्र (पी.के.सी.) भी ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी मगन लाल बागरी द्वारा दिया गया है।
>
> **11.** दूसरा आक्षेप कि, मगन लाल बागरी उसी जिले से संबंधित नहीं हैं, विचारणीय नहीं है। मगन लाल बागरी महासमुंद से पूर्व सांसद थे और सुसंगत समय में, महासमुंद जिला सीपी और बरार प्रांत के अंतर्गत रायपुर जिले का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हिस्सा था। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि सत्यापन करने पर यह पाया गया कि वह अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान भूमिगत हो गया था। इस प्रकार, इस आधार पर पेंशन न देने का कारण कि वह नाबालिग था, निराधार है।"

इस न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में निहित विधि के सिद्धांत और दावों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले आवश्यक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी क्र. 1 को याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय का आदेश यह दर्शाता है कि उत्तरवादीगण के लिए मगन लाल बागरी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर संदेह करके याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना उचित नहीं था। हालांकि, इस बार उत्तरवादी प्राधिकारी ने, इस न्यायालय के उस आदेश की परिवंचना करने और उसका उल्लंघन करने के उद्देश्य से, जो आदेश अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था, याचिकाकर्ता के आवेदन और भूमिगत रहने के दावों को अत्यंत ही असावधान तरीके से संदर्भित किया तथा दिनांक 19-01-2009 के आदेश के कंडिका 10 व 11 में इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों की अनदेखी करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है। उत्तरवादी प्राधिकारी ने अभिलिखित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार यह सिद्ध नहीं करते कि वह न्यायालय/सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के कारण अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए भूमिगत रहा था। यह भी अवलोकन किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 किसी विशिष्ट स्थान पर लोगों के जमाव रोकने के लिए लगाई जाती है और छत्तीसगढ़ राज्य के विलय से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के पात्र आंदोलनों में से एक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 (अनुलग्नक आर-1) के तहत पेंशन का हकदार होगा परंतु यह कि दावेदार योजना की कंडिका 2 के किसी भी खंड के तहत पात्रता सिद्ध कर दे। योजना की खंड 2.3 भूमिगत होने के मामले से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

> **2.3 भूमिगत :-** वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के कारण छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रह कर कष्ट सहा हो, परंतु यह कि वह:
>
> क. एक उद्घोषित अपराधी हो; या

ख. वह जिसकी पर गिरफ्तारी/सिर पर इनाम की घोषणा की गई हो; या

ग. वह व्यक्ति जिसकी निरोध के लिए आदेश निर्गत किया गया हो, परंतु जिसकी तामील नहीं की गई हो।

स्पष्टीकरण:-

पार्टी के नेताओं के आदेश के तहत पार्टी कार्य के लिए स्वैच्छिक रूप से भूमिगत रहना या स्व-निर्वासन भुगतना, केंद्रीय योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कष्टों के रूप में शामिल नहीं हैं।

भूमिगत रहकर सहे गए कष्टों के दावे पर निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के विचार किया जाता है:-

(क) आवेदक को फरार घोषित करने वाले, उसके सिर पर इनाम की घोषणा करने वाले या उसकी गिरफ्तारी या निरोध का आदेश देने वाले न्यायालय/सरकार के आदेशों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य।

(ख) यदि संबंधित अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी से व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र (पी.के.सी.) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य, जिसने न्यूनतम दो वर्ष का जेल कष्ट सहा हो और जो उसी प्रशासनिक इकाई से संबंधित हो, पर विचार किया जा सकता है परंतु यह कि संबंधित राज्य शासन/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, दावे और उसकी वास्तविकता के उचित सत्यापन के बाद, यह प्रमाणित करे कि दावा किए गए कष्टों के समर्थन में आधिकारिक अभिलेख से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जहां कोई व्यक्ति खंड क या ख या ग के तहत बताए गए किसी भी परिस्थिति में छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहा है, वह पात्र हो जाएगा।

यह ध्यान में रखते हुए कि गिरफ्तारी और निरोध के आदेश आदि दर्शित करने के लिए आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत करना सदैव संभव नहीं हो सकता है, योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संबंधित अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी से व्यक्तिगत

ज्ञान प्रमाण-पत्र (पी.के.सी.) के रूप में द्वितीयक साक्ष्य, जिसने न्यूनतम दो वर्ष का जेल कष्ट सहा हो और जो उसी प्रशासनिक इकाई से संबंधित हो, पर विचार किया जा सकता है, परंतु यह कि संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, दावे और उसकी वास्तविकता के उचित सत्यापन के बाद, यह प्रमाणित करे कि दावा किए गए कष्टों के समर्थन में आधिकारिक अभिलेखों में से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

14. जब याचिकाकर्ता ने पूर्व में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तो उसने यह पक्ष रखा था कि मगन लाल बागरी के प्रमाण-पत्र सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उसके पक्ष में कई प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 19-01-2009 के आदेश के कंडिका 10 और 11 में, जिसे ऊपर पुनरुद्धृत किया गया है, स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि मगन लाल बागरी द्वारा जारी व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र पूरी तरह से वैध था और इसमें कोई अवैधता नहीं है तथा इस आधार पर पेंशन देने से इंकार करना कि वह नाबालिग था, निराधार है। इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस न्यायालय ने साक्ष्य के इस विशेष भाग पर संदेह उत्पन्न करने वाले सभी तर्कों को खारिज करते हुए मगन लाल बागरी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र को वैध और उचित पाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ, रायपुर के पदाधिकारी मोतीलाल त्रिपाठी द्वारा जारी दिनांक 10-11-1982 का प्रमाण-पत्र अभिलेख पर रखा है, जिसमें स्पष्टतः कहा गया है कि याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिनांक 09-08-1942 को गिरफ्तार किया गया था और वह 36 घंटों तक अभिरक्षा में रहा था। अपनी रिहाई के बाद, उसने सितंबर, 1942 के महीने में फिर से जुलूस निकाला और उसके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद वह अक्टूबर, 1943 तक भूमिगत रहा और स्वतंत्रता आंदोलन जारी रखा। उसने याचिकाकर्ता के साथ अपने समय के अन्य सहयोगियों/स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों और स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण दिया है। प्रमाणनकर्ता स्वयं लगभग तीन वर्षों तक जेल में रहा था और उस अवधि के दौरान, नौ महीनों तक बिलासपुर-नागपुर जेल में रहा और उसे फिर से एक वर्ष के लिए नरसिंहपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 1943 में, उसे गिरफ्तार किया गया और वह छह महीने तक रायपुर जेल में रहा। श्री मोतीलाल त्रिपाठी ने पुनः दिनांक 28-12-1998 को तत्कालीन

गृह मंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को एक पत्र (अनुलग्नक पी-5) भेजा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान याचिकाकर्ता की गतिविधियों के संबंध में फिर से विवरण दिया था। एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी, केयूर भूषण ने भी राज्य सरकार को दिनांक 31-07-1985 का एक पत्र (अनुलग्नक पी-6) भेजा कि वह इस आधार पर केंद्र और राज्य योजना के तहत एक पेंशनभोगी है कि वह वर्ष 1942 में 14 वर्ष की आयु में जेल में रहा था और उस अवधि के दौरान, गिरफ्तारी के बाद, पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला और मगन लाल बागरी के साथ भूमिगत रहकर कार्य किया और उसने याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश भी की। पूर्व सांसद केयूर भूषण ने पुनः दिनांक 11-02-1989 (अनुलग्नक पी-7) को मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और उसे घोषित अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और पुलिस द्वारा उसे 36 घंटों तक अभिरक्षा में रखा गया था और उसके बाद वह भूमिगत रहा। रायपुर जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण दास ने भी बहुत पहले 28-10-1972 को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक पी-8) दिया था। एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी रामानंद दुबे ने दिनांक 01-09-1981 को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक पी-9) जारी किया, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता की गतिविधि के संबंध में विवरण दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके बाद वह भूमिगत रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह केंद्र सरकार के पेंशन प्राप्तकर्ता हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि राज्य के दावे के तहत याचिकाकर्ता के पेंशन के दावे पर उचित विचार किया गया था और उन्हें पेंशनभोगी के रूप में मान्यता दी गई थी तथा केंद्र योजना के तहत याचिकाकर्ता के पेंशन के दावे की राज्य शासन द्वारा दिनांक 29-08-1997 के पत्र (अनुलग्नक पी-11) के माध्यम से विधिवत अनुशंसा की गई थी। उपरोक्त सामग्री और वाद के पूर्व चरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संयुक्त रूप से अवलोकन करने पर इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्रता सेनानी था और 36 घंटों तक अभिरक्षा में रहा था, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और वह भूमिगत रहा था। एक बार जब इस न्यायालय ने एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी, मगन लाल बागरी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी व्यक्तिगत ज्ञान प्रमाण-पत्र को वैध घोषित कर दिया था, तो 1980 की योजना के खंड 2.3 के उप-खंड ख में निहित प्रावधानों की आवश्यकता पूरी हो गई थी।

17. उत्तरवादी प्राधिकारियों ने मामले की गहराई तक जाकर जांच नहीं की और किसी तरह याचिकाकर्ता के मामले को फिर से खारिज करने का आधार खोजने के लिए एक दोष खोजने वाली मशीन के रूप में अत्यंत संकीर्ण और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया, और उत्तरवादी प्राधिकारी के ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदेश में स्पष्ट रूप से उस ईमानदार और तर्कसंगत दृष्टिकोण का अभाव है, जिसे उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा ***गुरदियाल सिंह*** (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय अपनाया जाना आवश्यक था।

18. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद, एक अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनदेखी करते हुए, उत्तरवादी प्राधिकारी ने फिर से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। इसे केवल अत्यंत स्तब्धकारी रूप में देखा जा सकता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, जिसे बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मान्यता दी गई है, जो स्वयं पेंशन के प्राप्तकर्ता हैं और जिन्हें केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई है, वह स्वतंत्रता सेनानी के पद की घोषणा की मांग के लिए पिछले तीन दशकों से अधिक समय से वाद प्रस्तुत कर रहा है। अवलोकन के आलोक में और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों का अवलंब लेते हुए, इस न्यायालय ने पूर्व में उत्तरवादी प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। यद्यपि, याचिकाकर्ता के आवेदन को पुनः खारिज कर दिया गया है। उत्तरवादी द्वारा लिया गया निर्णय न केवल विकृति से ग्रस्त है, अपितु इस न्यायालय के आदेश के भी विपरीत है, साथ ही, केंद्र सरकार पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन प्राप्त करने के अपने दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुसंगत साक्ष्यों पर दिमाग का पूर्ण रूप से उपयोग न करना भी परिलक्षित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामतः, याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 28-08-2009 (अनुलग्नक पी-15) का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार पेंशन योजना, 1980 के खंड 2.3 के तहत पेंशनभोगी होने हेतु अर्हता प्राप्त और पात्र है। उत्तरवादी प्राधिकारी अब इस मामले में आवश्यक आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता को बिना समय नष्ट

किए पेंशन प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2010 में इस याचिका को दायर करते समय याचिकाकर्ता की आयु 84 वर्ष थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, उत्तरवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को फिर से खारिज कर दिया गया, जिसके कारण एक स्वतंत्रता सेनानी को न्याय का द्वार पुनः खटखटाना पड़ा, उत्तरवादी क्र. 1 पर 10,000/- रुपये का अनुकरणीय अर्थदंड लगाया जाता है। यह याचिका तदनुसार सव्यय स्वीकार की जाती है।

हस्ताक्षरित/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया **माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv Somesh Kashyap